

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं06(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर,दिनांक:- 17/9/18

डॉ0 देवी लाल धाकड़,
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बेंगू (चित्तौड़गढ़)।

विषय:- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 01.11.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र जिसके द्वारा दिनांक 01.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है! अतः चिकित्सकों की कमी, लोकहित में आमजन को चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराये जाने एवं प्रशासनिक कारणों को मद्देनजर रखते हुये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अतः आपको दिनांक 01.11.2018 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया

जाना संभव नहीं है।


भवदीय,



(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक(जन स्वा),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 धाकड़ को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 धाकड़ को आज ही पत्र डिलीवर कर इस विभाग को अवगत करावें।
- 3- रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-461/2018/ 1156

दिनांक : 30/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचना^{पूज} एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र डॉ. देवीलाल धाकड, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेंगू, चित्तौड़गढ़ को डिलीवर कराकर पाबन्द कर निदेशालय को अवगत करावें।
2. डॉ. देवीलाल धाकड, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेंगू, चित्तौड़गढ़ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि आपका दिनांक 01.11.2018 से रवैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के कारण अपने पद पदस्थापित रहें।
3. प्रभासी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।